न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सं.– 02/2025
जीसीएमएस सख्या– (2025/305)

प्रार्थीः–
रामचन्द्र पुत्र श्री बृजमोहन जाति दवे श्रीमाली ब्राह्मण, निवासी गांव धुंधाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः–
1. रमेश कुमार पुत्र बृजमोहन जाति दवे श्रीमाली ब्राह्मण, निवासी गांव धुंधाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत धुंधाडा जरिये सरपंच।

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र (Review Application) विरूद्ध आदेश दिनांक 13.11.2019 अंतर्गत प्रस्तुत पंचायत निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध भूमि वास्ते पट्टा निरस्त करने, जो ग्राम पंचायत धुंधाडा द्वारा पट्टा रजिस्टर सं. 17, पट्टा सं. 51 मिसल नंबर 15/2000 दिनांक 17.02.2001 को जारी किया गया, में पीठासीन अधिकारी, न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर द्वारा पंचायत निगरानी सं. 16/2017 बअनवान रमेश कुमार बनाम रामचन्द्र व अन्य में पारित आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत है।

उपस्थिति :–
1. अधिवक्ता श्री रामेश्वर दवे (प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह चाडवास (अप्रार्थी सं. 01 की ओर से)

–निर्णय– **दिनांक : 18.09.2025**

1. यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र, इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 16/2017 बअनवान रमेश कुमार बनाम रामचन्द्र व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 02.12.2019 को पेश किया गया है, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत धुन्धाड़ा द्वारा मिसल संख्या 15/2000 में पट्टा बुक संख्या 17, पट्टा संख्या 51 दिनांक 17.02.2001 को निरस्त करने हेतु निगरानी स्वीकार की गई तथा आक्षेपित पट्टा निरस्त किया गया है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

2. रिव्यु प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए तथा मूल पत्रावली संख्या 16/2017 को रिकार्ड रूम से मंगवाई गई। अप्रार्थी रमेश कुमार की ओर से श्री विक्रमसिंह चाडवास अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया ।

3. रिव्यु प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी रमेश कुमार ने एक पंचायत निगरानी संख्या 16/2017 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत इस आधार पर पेश की थी कि ग्राम पंचायत धुंधाड़ा द्वारा मिसल संख्या 15/2000 में दिनांक 17.02.2001 को पट्टा बुक संख्या 17, में से पट्टा संख्या 51 प्रार्थी रामचन्द्र के नाम गलत जारी किया है, निगरानीकार रमेश कुमार ने स्वयं भूखण्ड खरीदा तथा उसका ही कब्जा है, फिर भी पट्टा रमेश कुमार व रामचन्द्र के नाम संयुक्त रूप से जारी कर दिया। रामचन्द्र का नाम गलत जोडा गया है, जबकि खरीद अकेले रमेश कुमार की है। प्रार्थना पत्र पर रमेश कुमार के हस्ताक्षर ही नहीं है। ग्राम पंचायत में पट्टे से संबंधित कोई पत्रावली रिकार्ड ही नहीं है, पट्टा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करके जारी किया गया है। अतः पट्टा निरस्त किया जावे। रिव्यु प्रार्थी का यह भी कथन है कि उक्त आक्षेपों के विरूद्ध अप्रार्थी रामचन्द्र (वर्तमान रिव्यु प्रार्थी) का कथन था कि पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है। ग्राम पंचायत में रिकार्ड उपलब्ध नही होने में उसकी कोई गलती नहीं है। सरपंच ने भी जवाब पेश कर रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने की बात कही। उक्त अभिवचनों के आधार पर श्रीमान के न्यायालय ने दिनांक 13.11.2019 को निर्णय पारित कर निगरानी स्वीकार की तथा आक्षेपित पट्टा संख्या 51 दिनांक 17.02.2001, मिसल संख्या 15/2000 को निरस्त किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि निर्णय रिव्यु प्रार्थी का पक्ष सुने बगैर, बहस सुने बगैर, उसके प्राकृतिक न्याय के अधिकारों का हनन कर, दस्तावेजों, न्यायालय में लम्बित भिन्न–भिन्न वाद, स्थगन प्रार्थना पत्र, विवादित पट्टे से जुडे निर्णय एवं वास्तविक कब्जा सम्बन्धी समस्त तथ्यों को निर्णय में समाहित न करते हुए एक पक्षीय आदेश पारित किया है। अतः आदेश/निर्णय रिव्यु योग्य है। प्रार्थी का कथन है कि निगरानीकर्ता ने अनुचित, अविधिक, असत्य, मनगढ़ंत तथ्य पेश कर निगरानी पेश की है। विवाद ग्रस्त जायदाद का उपयोग संयुक्त रूप से परिवार द्वारा किया जा रहा है, जिस बाबत उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण नहीं किया गया है। अपील न्यायालय ने कब्जे

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बाबत जांच ही नहीं की। वास्तविक रूप से कब्जा रामचन्द्र का ही है, जिस पर मकान रामचन्द्र ने ही बनाया है। कब्जे के विवाद को लेकर, सिविल कोर्ट में प्रार्थी ने दावा पेश किया था। न्यायालय श्रीमान ने दस्तावेज पेश करने का अवसर नहीं दिया। सिविल कोर्ट में लंबित प्रकरणों से संबंधित दस्तावेजों को रिकार्ड में नहीं लिया गया तथा बिना सुने ही एक पक्षीय आदेश पारित किया है।

अतः रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, निगरानी संख्या 16/2017 में पारित आदेश को निरस्त किया जावे तथा पुनः सुनवाई की जाकर न्यायोचित तरीके से निर्णय पारित किया जावे।

प्रार्थी ने रिव्यु प्रार्थना पत्र के साथ सिविल न्यायालयों में दोनों पक्षकारों के मध्य लंबित प्रकरणों से संबंधित स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने, अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के दावा व प्रार्थना पत्रों की प्रतियां व न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश, पुलिस इमदाद हेतु पेश प्रार्थना पत्र, धारा 107 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही के कागजात भी पेश किये है।

4. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की रिव्यु प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

5. रिव्यु प्रार्थी रामचंद्र के विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर दवे ने रिव्यु प्रार्थना पत्र में अंकित अभिकथनों की पुनरावृति करते हुए कथन किया कि आक्षेपित पट्टा रामचंद्र व रमेश कुमार के नाम से संयुक्त रूप से सन् 2001 में बनाया गया है। ग्राम पंचायत ने पट्टे का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की बात कही है तथा रिकॉर्ड के अभाव में इस न्यायालय द्वारा निगरानी में दिनांक 13.11.2019 को निर्णय पारित कर पट्टा निरस्त किया है। निगरानी में हमने दस्तावेज पेश किये थे, उन पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा परीक्षण करना एवं विश्लेषण/विवेचन करके ही आदेश पारित करना था, परंतु न्यायालय ने ऐसा नहीं किया है, जो कि अवैध होने से आदेश रिव्यु किया जाना अपेक्षित है।

6. अप्रार्थी श्री रमेश कुमार (निगरानीकार) के विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह चाडवास ने प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया कि रिव्यु का कोई आधार नहीं है। निगरानी में पारित आदेश के विरूद्ध रिव्यु का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ रिट याचिका हाईकोर्ट में पेश हो सकती है। निगरानी में पारित आदेश/निर्णय, दोनो पक्षों को सुनकर, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद ही पारित किया गया है। रिकॉर्ड पर दिखने वाली कोई त्रुटि नहीं है तथा न ही कोई नया रिकॉर्ड या तथ्य पेश

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

किया है, न ही किसी प्रकार की रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री की अनदेखी करके ऑर्डर पारित किया है। रिव्यु सिर्फ आदेश 47 नियम 1 सीपीसी में वर्णित आधारों पर ही हो सकता है। रिव्यु का स्कोप (दायरा) बहुत ही सीमित है तथा रिव्यु के माध्यम से अपील के आधार नहीं लिए जा सकते। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जावे। पंचायत में रिकॉर्ड ही नहीं है तथा खारिज किया जावे। पंचायत में रिकॉर्ड ही नहीं है तथा न ही उसकी प्रतियों को प्रार्थी ने यहां पेश किया है। रिव्यु प्रार्थना पत्र में नया कुछ भी नहीं है। सिविल कोर्ट में जो प्रकरण लंबित है, वे स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में घोषणा की डिक्री जारी नहीं की है। ग्राम पंचायत नियमों में दी गई प्रक्रिया अनुसार ही भूमि विक्रय कर सकती है परंतु प्रक्रिया का पालना नहीं किया गया है तथा न ही रिकॉर्ड उपलब्ध है। अतः रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा निगरानी सं. 16/2017 की मूल पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया। दौराने बहस उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर गंभीरता से मनन किया। संबंधित विधि प्रावधानों एवं संबंधित न्यायिक विनिश्चयों का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

8. (a)पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार, रिव्यु प्रार्थी रामचंद्र व अप्रार्थी रमेश कुमार सगे भाई है तथा श्री बृजमोहन दवे के पुत्र है। अप्रार्थी रमेश कुमार ने दिनांक 14.09.2017 को एक निगरानी याचिका राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत पेश कर कथन किया कि उसकी कब्जा सुदा व मालिकाना हक की जमीन ग्राम धुंदाडा में आई हुई है, जिस पर उसका ही एकल कब्जा है। याची ने यह जमीन निजी आय से श्रीमती प्यारी बहन, महेन्द्रकुमार, पुरूषोतम भाई दवे, निवासी धुंधाडा से जरिये नोटरी प्रमाणित इकरारनामा दिनांक 18.08.2020 को 30000 रूपये में क्रय की, जिसका क्षेत्रफल 1522.75 वर्गफुट है, जिसमें एक पडवा बना हुआ है, शेष मकान क्षतिग्रस्त है। जिसका पट्टा प्राप्त करने हेतु उसने कभी भी ग्राम पंचायत धुंधाडा में आवेदन नहीं किया, इसके बावजूद अप्रार्थी रामचंद्र ने (रिव्यु प्रार्थी) मिसल सं. 15/2000 पट्टा रजिस्टर सं. 17 में पट्टा सं. 51 संकल्प सं. 6 दिनांक 13.11.2000 के अनुसरण में दिनांक 17.02.2001 को रमेश कुमार व रामचंद्र के नाम संयुक्त रूप से प्राप्त कर लिया है। पट्टे पर रामचन्द्र अकेले के ही हस्ताक्षर है अर्थात् रामचन्द्र ने पट्टे में रमेश

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

कुमार का नाम गलत दर्ज करवाया है तथा ग्राम पंचायत ने बिना जांच गलत पट्टा जारी किया है। रामचन्द्र का प्लॉट पर कब्जा भी नहीं है। पट्टा नियमों के विपरीत जारी किया है, जो शून्य है, उसे निरस्त किया जावे। निगरानी के समर्थन में इकरारनामा, वसीयतनामा व आम मुख्त्यारनामा बहक रमेश कुमार की फोटो प्रतियां व पट्टे की प्रति पेश की।

(b) ग्राम पंचायत से इस न्यायालय ने आक्षेपित पट्टे का रिकॉर्ड मंगवाया गया, तो ग्राम पंचायत धुंधाडा ने पत्रांक 01 दिनांक 05.02.2018 और 03 दिनांक 17.05.2018 से सूचित किया कि पट्टा सं. 51 दिनांक 17.02.2001 की कोई पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है, जिसकी सूचना पूर्व में रमेश कुमार को पत्र दिनांक 02.10.2017 से दी जा चुकी है। सरपंच ग्राम पंचायत धुंधाडा ने दिनांक 07.11.2017 को इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम पंचायत में पट्टों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। पूर्व सरपंच सुंदरी देवी ने उक्त पट्टा बनाया है, जो षडयंत्र करके बनाया है। अतः सन् 2000 से लेकर 2015 तक की अवधि में जारी सभी पट्टों की जांच की जावे।

(c) निगरानी पत्रावली सं. 16/2017 की आदेशिका दिनांक 15.09.2017 से 13.11.2019 तक का अवलोकन किया गया। वर्तमान प्रार्थी रामचंद्र की ओर से श्री आर.डी. दवे, आर. परिहार व एच.आर. विश्नोई एडवोकेट्स ने दिनांक 07.11.2017 को वकालतनामा पेश किया है तथा उन्हे दिनांक 06.02.2018 को निगरानी की प्रति उपलब्ध कराई गई है तथा उन्होने दिनांक 12.03.2018 को धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब/लिखित बहस पेश करने का समय मांगा, जो अनुमत किया गया। दिनांक 21.03.2018 को अप्रार्थी रामचंद्र के अधिवक्ता ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब व ऑर्डर 11 नियम 12 एवं 14 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी से रिकॉर्ड तलब करने का कथन किया, जिसका जवाब दिनांक 14.08.2018 को निगरानीकार ने पेश किया, उसकी प्रति अप्रार्थी अधिवक्ता (रिव्यु प्रार्थी) को दी गई। दिनांक 27.08.2018 को अप्रार्थी अधिवक्ता को बहस करने का एक और अवसर दिया गया। दिनांक 18.12.2018, 10.01.2019, 23.07.2019, 05.08.2019, 04.09.2019 को बहस के अवसर दिये गये तथा दिनांक 09.09.2019 को उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दिनांक 15.10.2019 को मजीद बहस सुनी गई तथा उभयपक्षों की बहस के आधार पर दिनांक 13.11.2019 को आक्षेपित निर्णय पारित कर निगरानी स्वीकार

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

की गई तथा आक्षेपित पट्टा सं. 51/17.02.2001 को निरस्त किया गया, जिसको रिव्यु करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पूर्वोक्त पैरा 3 में वर्णित आधारों पर पेश किया गया है।

(d)इस प्रकार उक्त अभिलेखीय विवरण से स्पष्ट है कि वर्तमान प्रार्थी को निगरानी में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया गया है तथा प्रार्थी का पक्ष सुने बिना, बहस सुने बिना, प्रार्थी के प्राकृतिक न्याय के अधिकारों का हनन करना, सिविल न्यायालय में लंबित वाद, स्थगन प्रार्थना पत्र, विवादित पट्टे से जुडे निर्णय, वास्तविक कब्जा संबंधित तथ्यों को निर्णय में समाहित नहीं करने का कथन व एकपक्षीय आदेश पारित करने के समस्त कथन रिकॉर्ड से परे व झूठे है। प्रार्थी के अधिवक्ता को अपना पक्ष पेश करने हेतु कई अवसर प्रदान किये गये, लेकिन प्रार्थी रामचंद्र की ओर से विवादित भूखण्ड के स्वामित्व से संबंधित एक भी दस्तावेज पेश नहीं किया तथा न ही सिविल कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों के दस्तावेज पेश किये थे तथा न ही ग्राम पंचायत धुंधाडा द्वारा आक्षेपित पट्टा जारी करते समय अपनाई गई प्रकिया से संबंधित अभिलेख यथा प्रार्थना पत्र मौका निरीक्षण रिपोर्ट, सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु जारी प्रपत्र 22 में जारी सूचना, सूचना का एक माह की अवधि के लिए प्रकाशित करने का प्रमाण, प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे के सबूत के रूप में ग्राम पंचायत के समस्त प्रस्तुत सबूत, ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों की प्रतियां इत्यादि एक भी कागज पेश नहीं किया है तथा ग्राम पंचायत ने लिखित में सूचित किया कि आक्षेपित पट्टे से संबंधित कोई अभिलेख ग्राम पंचायत धुंधाडा में उपलब्ध ही नहीं है तथा पट्टा षडयंत्रपूर्वक जारी किया गया है। इस प्रकार पारित आदेश में किसी प्रकार की error apparent on face of record नहीं पाई गई है।

(e)राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 141 से 167 तक में ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि का विक्रय करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसकी पालना करना आज्ञात्मक है। नियम 157 के तहत 50 वर्षों से अधिक पुराने भवन/गृह निर्मित भूमि का विनियमितीकरण किया जाता है। आक्षेपित पट्टा दिनांक 17.02.2001 कौ जारी होना जाहिर किया है। आवेदक को भूखण्ड पर दिनांक 31.12.1996 से पूर्व का 50 वर्षों का पुराना गृह निर्माण होने का सबूत ग्राम पंचायत में पेश करना आवश्यक था परंतु पुराने कब्जे का कोई सबूत इस न्यायालय में भी पेश नहीं किया

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

था, सिर्फ दिनांक 03.02.2018 को भावना आर. दवे पत्नी रामचन्द्र के नाम जारी विद्युत बिल की फोटो प्रति पेश की है जो दिनांक 17.02.2001 से 17 वर्ष बाद की है। अतः पारित आदेश दिनांक 13.11.2019 विधि प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नजर नहीं आ रही है।

इस रिव्यु प्रार्थना पत्र के साथ भी दिनांक 17.02.2001 के पहले का, 50 वर्षों पूर्व की अवधि का कोई दस्तावेज (निर्माण बाबत) पेश नहीं किया है। अतः कोई नया अभिलेख/तथ्य नहीं पेश किया है।

(f) सिविल न्यायालयों में जो वाद पेश किये है, वे सन् 2017 व 2018 वर्षों के पेश किये है, जो सिर्फ स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी गण (निगरानीकार) के विरूद्ध जारी करने हेतु पेश किये है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी आक्षेपित पट्टा दिनांक 17.02.2001 के आधार पर पेश किये है तथा किसी घोषणात्मक वाद में जारी टाईटल की घोषणा की डिक्री/निर्णय पेश नहीं किया है। इन लंबित वादों के आधार पर न तो ग्राम पंचायत द्वारा नियमितीकरण कर पट्टा जारी किया जा सकता है तथा न ही यह न्यायालय निगरानी की कार्यवाही लंबित या स्थगित रखने को बाध्य है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई कानून/न्यायालय का विनिश्चय इस न्यायालय के अवलोकनार्थ/मार्गदर्शनार्थ प्रस्तुत नहीं किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने (i) SBCWP No. 7675/2011 निर्णय दिनांक 15.07.2016 (सायरा बनाम स्टेट, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच), (ii) SBCWP No. 5324/2022 निर्णय दिनांक 27.07.2022 (बुंदू खान बनाम सरपंच झोग, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच) (iii) SBCWP No. 7076/2005 निर्णय दिनांक 06.04.2009 (ढलाराम बनाम स्टेट) में यह व्यवस्था दी है कि सिविल न्यायालय में मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लंबित होने के आधार पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी में कार्यवाही स्थगित/लंबित नहीं रखी जा सकती। (iv) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने SBCWP No. 10299/2016 (कलावती देवी बनाम नाथुसिंह वगैरा) में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2016 में निम्नानुसार प्रतिपादित किया है:–

"In the opinion of the court, the proceedings under section 97 of the act 1994 pending before trial court cannot be termed as suit, as the said proceedings are quasi judicial proceedings and

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

therefore, the application under section 10 read with section 151 CPC was not maintainable.

Though, the trail court has not taken into consideration this aspect of the matter that the proceedings pending before it, are not equivalent to any civil suit and rejected the application of the petitioner while observing that the matters in issue in the proceeding pending before it and civil court are not similar but in view of the fact that the application filed by the petitioner under section 10 read with section 151 CPC in the proceeding under section 97 of the Act of 1994 are otherwise not maintainable, no case for interference is made out. The Writ Petition is dismissed."

उक्त न्यायिक व्यवस्था अनुसार प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में लंबित स्थाई निषेधाज्ञा के वादों के वाद पत्रों में अंकित अभिकथनों के आधार पर रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। निगरानी में इस न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की वैद्यता, औचित्यता एवं सत्यता का परीक्षण करना होता है। इस प्रकरण में ग्राम पंचायत के पास आक्षेपित पट्टे का रिकॉर्ड ही नहीं है। अतः पट्टा अवैध होने से निरस्त किया गया है।

(g) निगरानी कर्ता ने निगरानी के साथ इकरारनामा दिनांक 18.08.2000 की प्रति पेश की है जिसमें प्रार्थी रामचन्द्र का नाम ही नहीं है, तो फिर रामचन्द्र का नाम पट्टा में किस आधार पर दर्ज किया गया। उक्त सारे तथ्यों का परीक्षण करने के बाद ही, इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 13.11.2019 से निगरानी स्वीकार की है तथा आक्षेपित पट्टा सं. 51 दिनांक 17.02.2001 को विधिक प्रावधानों के विपरीत जारी होना पाया जाने पर निरस्त किया है तथा विकास अधिकारी, लूणी को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायत लूणी द्वारा सन् 2000 से 2015 तक जारी किये गए पट्टों की वैधानिकता की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करे।

(h) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने समय–समय पर पारित न्यायिक विनिश्चयों में यह प्रतिपादित किया है कि ग्राम पंचायत कार्यालय में पट्टे जारी करने बाबत

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

संधारित होने वाला रिकॉर्ड, अगर उपलब्ध नहीं है तो निगरानी में आक्षेपित पट्टे निरस्त किये जा सकते है। कुछ न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार है:–

(i) SBCWP No. 8612/2008 निर्णय दिनांक 23.10.2008 (नारायणलाल बनाम स्टेट)

(ii) SBCWP No. 9126/2016 निर्णय दिनांक 12.08.2016 (सोनाराम बनाम स्टेट)

(iii)SBCWP No. 8148/2012 निर्णय दिनांक 25.11.2016 (शांतिदेवी बनाम स्टेट)

(iv)SBCWP No. 8211/2012 निर्णय दिनांक 03.02.2022 (लोकेश बनाम पंचायत समिति भदेसर, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर)

हस्तगत प्रकरण में आक्षेपित पट्टा का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में नहीं है। रिव्यु प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने ऐसा कोई रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां पेश नहीं की है। अतः निगरानी में पारित निर्णय में कोई त्रुटि नजर नहीं आती है।

(i) राजस्थान पंचायतीराज एक्ट 1994 की धारा 97 के अंतर्गत निगरानी पेश करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अगर पंचायतीराज नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन करके, अवैध पट्टे जारी किये गये है, तो राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी व्यथित/हितबद्ध व्यक्ति की याचिका पर प्रकरण में प्रसंज्ञान लेकर, पट्टे की वैद्यता, औचित्यता, सत्यता का परीक्षण कर सकती है तथा उसे अपास्त, संशोधित, निरस्त, परिवर्तित इत्यादि कर सकती। इस संदर्भ में निम्न न्यायिक दृष्टांत संदर्भित किये जा सकते है–

1. 2000 AIR (Raj.)-2006-चिमनलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, 2000 AIHC 2468 देवीलाल बनाम स्टेट
2. 2000 AIHC 2574- कमलेश बनाम स्टेट
3. 2009(4) CDR 1962- भींयाराम बनाम स्टेट–कलक्टर, बाडमेर
4. 1999 DNJ 672-नारायणलाल बनाम स्टेट
5. (2018)3 RLW 2325-घेवरचंद बनाम स्टेट
6. SBCWP No.11006-11008/2012-नागरमल V/S एडीएम सीकर, नि.दि. 30.07.12
7. 2013(1)WLC(Raj.)-768 जगदीश प्रसाद वगैरा बनाम राजस्थान राज्य वगैरा
8. कर्मजीत सिंह बनाम स्टेट, नि.दि. 23.05.2014
9. पन्नालाल बनाम सुशीला देवी, नि.दि. 12.02.2008

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

10. SBCWP No.5906/2019 राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर, निर्णय दि. 26.04.2019

11. SBCWP No.841/2019 पदमाराम बनाम स्टेट व अन्य, निर्णय दि. 17.01.19

12. SBCWP No.13015/2017- नैनाराम बनाम स्टेट व अन्य नि. दि. 20.11.18

13. SBCWP No.5735/2021 राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर, निर्णय दि. 22.11.2021

उक्त न्यायिक विनिश्चयों अनुसार, ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अनदेखी कर जारी पट्टों को निगरानी में कभी भी अपास्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में भी ग्राम पंचायत में आक्षेपित पट्टे की पत्रावली उपलब्ध ही नहीं है जिसके अभाव में यह परीक्षण करना संभव नहीं है कि ग्राम पंचायत ने नियम 141 से 167 तक में विहित प्रकिया का पालना किया है या नहीं। इसी प्रकार प्रार्थी ने भी आक्षेपित पट्टे से संबंधित कोई अभिलेख हमारे समक्ष पेश नहीं किया है। अतः आक्षेपित पट्टा विधि प्रावधानों के विपरीत जारी होना पाया जाने के कारण आक्षेपित निगरानी निर्णय दिनांक 13.11.2019 पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाता है तथा न ही ऐसा कोई अभिलेख है जिसको निर्णय पारित करते समय नहीं देखा गया है। अतः Perverse फाइडिंग का कथन पूर्णतः असत्य है।

9. धारा 97(3) का मूल पाठ इस प्रकार है–

"97 (1).....

97 (2).....

97 (3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any person interested, at any time within ninety day of the passing of the order under sub section (1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to sub section (1) and in sub section (2), shall apply to a proceeding under this sub section.

उपर्युक्त प्रावधानानुसार राज्य सरकार स्व प्रेरणा से या हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर निर्धारित समय सीमा 90 दिन के भीतर पारित आदेश को रिव्यु कर सकेगा, जो अगर तथ्य या विधि की भूल से पारित किया गया हो या किसी सारवान तथ्य को

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नजरअंदाज कर पारित कर दिया गया हो तथा आदेश को रिव्यु किया जा सकेगा। रिव्यु प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का एक मात्र आधार यही हो सकता है कि रिकॉर्ड पर कोई भूल (mistake) स्पष्टतया परिलक्षित हो। नये तथ्यों के आधार पर या जिन तथ्यों का निस्तारण हो चुका है, उन्हीं को फिर से रिव्यु किये जाने का कोई आधार नहीं हो सकता। रिव्यु (नंजरसानी) एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं वन सकती है तथा नजरसानी का दायरा अत्यंत सीमित होता है और नजरसानी की आड में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। नजरसानी में केवल उस सीमा तक ही विचार किया जा सकता है, जिस सीमा तक धारा 114 व आदेश 47 नियम 1 सीपीसी में प्रावधान दिये गये है। उक्त विधिक स्थिति के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख करना समीचीन होगा–

A. 2005(1) RRT 545 (सुरेन्द्र कुमार वकील बनाम सी.ई.ओ. एम.पी. व अन्य में यहां तक प्रतिपादित किया है कि "View taken in the judgement may be erroneours or erroneous view taken but cannot be a ground for review. 2007 AIR (Raj.) 73 अनुसार बिंदु जो निर्णित व सुना जा चुका है, उसका रिव्यु नहीं हो सकता।

B. AIR 1995 SC 455 में प्रतिपादित किया है कि नजरसानी के प्रावधान अपील का स्थान नहीं ले सकती। (2019 RBJ 217, 2017 RBJ 4967, 2014(1) RRT 16 में अनुसरण किया)

C. 2005 RBJ(12) 290 में निम्न प्रकार मत प्रतिपादित किया है–

"The scope of review is very limited. It has been clearly held in catena of cases that a Judgement/Order may be open to review under Order 47 Rule 1 CPC, if there is a mistake or an error apparent on the face of record. An error which is not self evident and has to be detected by process of reasoning, can hardly be said to be an error apparent on the face of record justifying exercise of power of review. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is a

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

clear distinction between 'an erroneous decision' and 'an error apparent on the face of record.' While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purpose and cannot be allowed to be an appeal in disguise.

D. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Parsion devi एवं अन्य बनाम Sumitri devi व अन्य (1997)8 SCC 715 में प्रतिपादित किया कि–

"Under Order 47 Rule 1 CPC, a judgement may be open to review inter alia if there is a mistake or an error apparent on the face of record. An error which is not self evident and has to be detected by process of reasoning, can hardly be said to be an error apparent on the face of the record justifying the court to exercise its power of review under Order 47 Rule 1 CPC. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. A review petition, it must be remembered has a limited purpose and cannot be allowed to be an appeal in disguise."

E. इसी प्रकार नजरसानी में गुणावगुण पर सुनवाई नहीं की जा सकती। केवल प्रत्यक्ष रिकॉर्ड पर परिलक्षित होने वाली त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है। इसके समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत अवलोकनीय है–

I. अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम अरिबम पिशाक शर्मा (1979)

II. S. Murali Sundaram V/S Jothibai Kannan & Ors.-CA-1167-1170/2023, निर्णय दिनांक 24.02.2023 माननीय सर्वोच्च न्यायालय

III. पेरी कंगासरा बनाम स्मृति मदन कंगासरा– (2019)20 SCC 753

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

IV. Shanti Conductors (P) Ltd. V/S Assam SEB (2020)2 SCC 677

F. श्रीमती राजेश्वरी एवं अन्य बनाम श्रीमती मेहरूनिशा एवं अन्य AIR Online-2021 ALL 1614 Date 15.07.2021 के पैरा सं. 10 में 2020 SCC online SC 896 में प्रकाशित राम साहू एवं अन्य बनाम विनोद कुमार रावत एवं अन्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में, रिव्यु के दायरे पर गहराई से विचार किया गया तथा इस बिंदु पर सर्वोच्च न्यायालय के निम्न पूर्व निर्णयों पर विचार कर सिद्धांत तय किये है– हरिदास बनाम उषा रानी बनिक– (2006)4 SCC 78, मीरा भांजा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी–(1995)1 SCC 170, अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम अरिबम पिशाक शर्मा– (1979)4 SCC 389, सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण हेगडे बनाम मिलिकार्जुन–AIR 1960 SC 137, परिशियन देवी बनाम सावित्री देवी–(1997)8 SCC 715, लिली थामस बनाम भारत संघ–(2000)6 SCC 224, बासेलियों केथोलिकोस बनाम मोस्ट रेव पालोस. अ.–AIR 1954 SC 526, इन्दरचंद जैन बनाम मोतीलाल–(2009)14 SCC 663, पटेल नरसी ठाकरसी बनाम प्रद्युमन सिंह अर्जुन सिंह–(1971)3 SCC 844, हरिविष्णु कामथ बनाम अहमद ईशाक–AIR 1955 SC 233, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम कमल सेन गुप्ता–(2008)8 SCC 612, हरियाणा राज्य बनाम एम.पी.मोहला– (2007)1 SCC 457

10. उक्त श्रीराम साहू 2020(12) स्केल 415 के माध्यम से समीक्षा की शक्ति का उद्देश्य और दायरा पैरा–9 में निम्नलिखित शब्दों में समझाया है–

"9. समीक्षा के दायरे की सीमा को समझने के लिए इस न्यायालय के लिए धारा 114 सीपीसी के उद्देश्य और दायरे पर चर्चा करना उचित होगा क्योंकि यह समीक्षा के लिए एक मूलभूत प्रावधान है। जब कोई व्यक्ति खुद को या तो डिक्री से या न्यायालय के आदेश से व्यथित व्यक्ति मानता है, जिसमें अपील की अनुमति है लेकिन कोई अपील नहीं की जाती है या जहां किसी आदेश और डिक्री के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है, वह उसी न्यायालय में डिक्री या आदेश की समीक्षा (रिव्यु) के लिए आवेदन कर सकता है। धारा 114 सीपीसी को मात्र पढने से, यह प्रतीत होता है कि धारा 114 सीपीसी के तहत समीक्षा की उक्त मूलभूत शक्ति ने समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में शर्त के रूप में कोई शर्त निर्धारित नहीं की है और न ही उक्त धारा ने न्यायालय पर अपने निर्णय की समीक्षा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि, आदेश 47 नियम 1

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सीपीसी में उल्लिखित निर्धारित आधारों पर ही न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है, के लिए प्रार्थना पत्र, अपील की तुलना में अधिक प्रतिबंधित होता है और पुनर्विचार न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, सीपीसी के आदेश 47 नियम 1 में उल्लिखित निश्चित सीमा तक ही सीमित है। पुनर्विचार की शक्तियों का प्रयोग अंतर्निहित (inherent) शक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता और न ही पुनर्विचार की आड में अपीलीय शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।"

11. उपरोक्त निर्णयों और सिद्धांतों के अवलोकन से पता चलता है कि समीक्षा क्षेत्राधिकार का दायरा सीमित है। जैसा कि न्यायमूर्ति कृष्ण अयर ने नॉर्दन इंडिया कैटरर्स (इंडिया) लि. बनाम दिल्ली के उप राज्यपाल, 1980(2) एससीसी 167 मामले में ठीक ही कहा था "समीक्षा की याचिका, जब तक कि पहला न्यायिक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से विकृत न हो, चांद मांगने के समान है। इसलिए जब तक दिये गये निर्णय में स्पष्ट त्रुटि न हो, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता।"

12. जैसा कि उपर चर्चा की गई है, रिव्यु के दायरे को देखते हुए, यदि रिव्यु याचिका कर्ता के विद्वान अधिवक्ता व प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का परीक्षण, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के प्रकाश में किया जाता है, जिसमें दिनांक 13.11.2019 के आक्षेपित निर्णय का अवलोकन भी शामिल है, तो यह इंगित होगा कि निर्णय में नोट किये तथ्य/कानून के पर्याप्त प्रश्नों पर निर्णय पारित करते समय, मामले के पूर्वोक्त पहलुओं पर न्यायालय द्वारा विधिवत विचार किया गया है और उन पर निष्कर्ष दिये गये है। प्रार्थी को पूरा अवसर देकर उसके द्वारा प्रस्तुत दलीलों/तर्कों पर विचार करने के बाद ही निर्णय पारित किया है। प्रार्थी ने आक्षेपित भूमि पर 50 वर्षों से भी अधिक पुराना गृह निर्माण व कब्जा होने का कोई तथ्य पेश नहीं किया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियमों में दी गई प्रक्रिया अपनाकर, आक्षेपित पट्टा जारी करने का कोई अभिलेख इस न्यायालय में पेश नहीं किया है तथा ग्राम पंचायत की रिपोर्ट अनुसार, आक्षेपित पट्टे की कोई पत्रावली, पंचायत कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं है। याची द्वारा, इस प्रार्थना पत्र के साथ, सिविल कोर्ट में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत दावों की प्रतियों के आधार पर ही, धारा 97 के तहत निगरानी याचिका लंबित/स्थगित नहीं रखी जा सकती। यह कथन याची ने पूर्व में भी किया था, जिसको सारहीन मानकर, आक्षेपित निर्णय दिनांक 13.11.2019 पारित किया गया था।

13. चूंकि पुनर्विचाराधीन निर्णय न्यायालय द्वारा विधि के मूल प्रश्नों, प्रस्तुत तर्कों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार पारित करते हुए पारित किया गया है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पुनर्विचार याचिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख पर कोई स्पष्ट त्रुटि होना साबित/इंगित नहीं की जा सकी।

14. पुनर्विचार याचिका कर्ता निगरानी की पुनः सुनवाई का प्रयास कर रहा है, जो पुनर्विचार (रिव्यु) के दायरे में नहीं आता है। विद्वान अधिवक्ता रिकॉर्ड को देखकर, कोई त्रुटि नहीं बता सके और प्रस्तुत तर्क धारा 114 के साथ पठित आदेश 47 नियम 1 सीपीसी के मानकों के अंतर्गत नहीं आते है।

15. इस नजरसानी (Review) में ऐसा कोई बिंदु नहीं है, जिससे यह मामला, नजरसानी के लिए बनाये गये नियमों के तहत विचारणीय हो।

यह न्यायालय पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 में किसी प्रकार की सहज दृश्य त्रुटि नहीं पाता है तथा न ही कोई तथ्यात्मक व विधिक बिंदु इसमें अंतर्वलित है। फलतः यह नजरसानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

16. निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत धुंधाड़ा को भेजी जावे।

17. निर्णय की प्रति मूल निगरानी याचिका में भी संलग्न की जावे तथा मूल निगरानी याचिका सं. 16/2017 की आदेशिका में भी इस रिव्यु याचिका का पेश होना तथा पारित निर्णय का उल्लेख जावे तथा इस रिव्यु पत्रावली को, मूल निगरानी याचिका सं. 16/2017 के साथ संलग्न किया जाकर, पत्रावली अभिलेखागार में पुनः लौटाई जावे।

18. प्रकरण में लंबित अन्य प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निरस्त किये जाते है।

19. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी) (प्रथम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 18.09.2025 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी) (प्रथम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर